

11



रीषी नं० एल. डब्ल्यू. / एन. पी. 890

लाइसेंस नं० डब्ल्यू पी०-४१

लाइसेंस ट. पोस्ट. एण्ड कन्सुमर रेट

11

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## अज्ञातधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 जुलाई, 2000

श्रावण 16, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1

संख्या 1124/64-1-2000-41-97

लखनऊ, 7 जुलाई, 2000

अधिसूचना

पृ० सं०-517

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित अमजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में, प्रविष्टि 78 के परचातु निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:-

"79-कलाल, फलवार, कसार"

यासा.से.

विनोद चन्द्र पाण्डेय,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 163 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following information.

No. 1124/LXIV-1-2000-41-97

Dated Lucknow, July 7, 2000.

IN exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes (U. P. Act no. 4 of 1994) the Governor is pleased to make the following amendments in Schedule I to the aforesaid Act:—

#### AMENDMENT

IN schedule. I to the aforesaid Act after entry, 78, inserted namely:—

“79—Kajal, Kalwar, Kalar”